न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– नथमल डिडेल (I.A.S.)

मुकदमा नः– 10/2013

पुरुषोतम उर्फ परसराम पुत्र श्री नारायण जाति नाई निवासी ग्राम पांचोलास तहसील
जिला सवाई माधोपुर

प्र

बनाम

1. छोटू पुत्र रघुनाथ जाति काछी
2. श्रीमति पिस्तोला पत्नि राधेश्याम जाति काछी
3. राजमल पुत्र छोटू जाति काछी
4. गणेश पुत्र छोटू जाति काछी
5. घनश्याम पुत्र नाथूलाल जाति तेली
6. श्रीमति प्रेम पत्नि घनश्याम जाति तेली
7. मूलचंद पुत्र श्री नारायण जाति काछी
8. राधेश्याम पुत्र श्रीनारायण जाति काछी
9. कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति काछी
10. लल्लू पुत्र श्रीनारायण जाति काछी
11. श्रीमति भूली देवी पत्नि श्रीनारायण जाति काछी
समस्त निवासी ग्राम पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
13. प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति नाई निवासी ग्राम फलौदी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण

विषयः– प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट।

उपस्थित अभिभाषकः–

श्री श्रीदास सिंह वकील प्रार्थी

श्री हरिमोहन चौधरी वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 21.

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की अराजी खसरा नंबर 596/2 रकबा 5 बीघा खसरा नंबर 596/1 रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 596/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा ग्राम पांचोलास मे स्थित है

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(2) पु०न० 10/2013

उक्त अराजीयात प्रार्थी को आवंटित हुई थी। तथा पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया था। चकबंदी के दौरान प्रार्थी की उक्त अराजीयात के नये खसरा नंबर 1762 रकबा 2.10 है0 1790 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नंबर 1789 रकबा 0.01 है0 बनाये है। जो चकबंदी कर्मचारियो ने सहवन से अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी है। अतः अराजी खसरा नंबर 1762 रकबा 2.10 है0 1790 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नंबर 1789 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम पांचोलास को अप्रार्थीगण के नाम के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया है कि ग्राम पांचोलास में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 04.06.1975 सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास द्वारा गत खसरा नंबर 596/2 रकबा 5 बीघा व नामांतकरण संख्या 200 तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा गत खसरा नंबर 596/1 रकबा 3 बीघा 596/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा पुरूषोतम पुत्र श्रीनारायण नाई के पक्ष में स्वीकार हुआ। उपरोक्त दोनो नामांतकरणों का तत्कालीन जमाबंदी चौसाला में अमल नही किया गया। गत खसरा नंबरो के नवीन खसरा नंबर नंबर 1762 रकबा 2.10 है0 1790 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नंबर 1789 रकबा 0.01 है0 बने है। जो छोटू लाल पुत्र रघुनाथ काछी निवासी पांचोलास की खातेदारी में दर्ज है। इन नबंरो पर वर्तमान में पुरूषोतम नाई का कब्जा है। अप्रार्थी नबंर 1, 3 व 4 की और से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि प्रार्थी अपने आप को खसरा नंबर 596/1 का खातेदार बताता है। कोई ट्रेस पासर या अतिक्रमी को 136 एल आर एक्ट दावे लाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा जवाब पेश किया कि उक्त अराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नही है। उक्त अराजी दिनांक 17.07.1965 को पुरूषोतम के पिता स्वर्गीय श्रीनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो श्रीनारायण के फौत होने पर इंतकाल का नामांतकरण पांचो लडकों प्रहलाद, मूलचंद, पुरूषोतम, कुन्दन व रमेश के नाम दर्ज किये गये तथा उक्त अराजीयात पर सभी भाईयों का शामिलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः उक्त अराजी का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के नाम हटावे जावे तथा प्रार्थी के नाम के साथ अप्रार्थी संख्या 13 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पांचोलास में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 04.06.1975 सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास द्वारा गत खसरा नंबर 596/2 रकबा 5 बीघा व नामांतकरण संख्या 200 तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा गत खसरा नंबर 596/1 रकबा 3 बीघा व खसरा नंबर 596/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा पुरूषोतम पुत्र श्रीनारायण के नाई के पक्ष में स्वीकार हुआ। उपरोक्त दोनो नामांतकरणों का तत्कालीन जमाबंदी चौसाला में अमल

(signature)

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अनिवार्यता २ स्वीकार

(3, मु॰ न॰ 10/2013

नही किया गया। गत खसरा नंबरो के नवीन खसरा नंबर 1762 रकबा 2.10 है0 1790 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नंबर 1789 रकबा 0.01 है0 बने है। जो छोटू लाल पुत्र रघुनाथ काछी निवासी पांचोलास की खातेदारी में दर्ज है। इन नबंरो पर वर्तमान में पुरूषोतम नाई का कब्जा है।

इस प्रकार तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर नामांतकरण संख्या 200 तथा नामांतकरण संख्या 48 का अमल नवीन जमाबंदी मे नही हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अराजी खसरा नंबर 1762 रकबा 2.10 है0 1790 रकबा 0.40 है0 तथा खसरा नंबर 1789 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम पांचोलास जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी में दर्ज हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी से हजफ किया जाकर प्रार्थी पुरूषोतम उर्फ परसराम की खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करें।

निर्णय आज दिनांक 21-01-2016 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर